कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर क्रमांक-जिशिअ/मुख्या/माध्य/समा/शै०प्र०/2020/1317 दिनांक-26.08.2020

समस्त संस्था प्रधान राउमावि/रामावि (छात्र/छात्रा) ज़िला-सवाई माधोपुर

> विषय:- विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार को कार्य के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देने बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्यं सरकार के आदेश क्रमांक एफ11(14) (a) ग्रुप 2/73 जयपुर दिनांक 1.12.1973 एवं निदेशक महोदय से सूचना के अधिकार के तहत मॉगी गई सूचना के पत्रांक शिविरा/मा/सूअप्र/227/अकरम खान/चुरू/19-20/12 दिनांक 09.06.2020 एवं निदेशक के पत्रांक शिविरा/साप्र/9/1249-73 दिनांक 13.01.1974 द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त राज्य कार्यालय मे माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश रहता है किन्तु विद्यालयों मे कार्य करने वाले मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपयोग इसलिये नहीं करने दिया जाता क्योंकि इस दिन विद्यालयों मे अवकाश नहीं होता है । अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों मे कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश स्थान पर प्रत्येक माह एक दिवस क्षतिपूर्ति अवकाश स्थीकृत कर दिया जावें । (आदेश प्रति संलग्न)

अतः सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार में कार्य करने के एवज में एक क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

> जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर

क्रमांक-जिशिअ / मुख्या / माध्य / समा / शै०प्र० / 2020 / 1317

दिनांक-26.08.2020

1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला सवाई माघोपुर

 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिंला सवाई माघोपुर को देकर लेख है कि आप अपने—अपने ब्लॉक मे उपरोक्तानुसार मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार को कार्य करने के एवज मे क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करवाना सुनिश्चित करें ।

> जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर

द्वितीय शनिवार के स्थान पर क्षातिपूर्ति अवकाश

क्रमांक : शिविश /साप्र /9 / 1249-73

दिनांक 13.01.74

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग

प क 11 (14) 1-(0) / युप 2/73

जयपुर दि. 1-12-1973

अतजा'

राज्य सरकार के आवेशानुसार समस्त राज्य कार्यालयों में माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश रहता है किन्तु विद्यालयों में कार्य करने दालं अराजपत्रित मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपयोग इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि इस दिन जियालयों में अवकाश नहीं होता अतः राज्य सरकार यह आदेश प्रदान करती है कि राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश रथान पर प्रत्येक नाह एक दिवस की क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे।

यह आहा: सामान्य प्रशासन (1) निमान की राहमति से कि उनकी अन्तर्थिभागीय संख्या 410/सा.प्र./कं/23 दिनांक 17.11.73 के हारा प्राप्त हुई है, प्रचलित की जाती है।

PION VARIANTA PONTO PONT

ह.कं.एस. गुप्ता सहायक शासन स्रोचेव

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाइमे मांक-मुजिशिअ/बाड/2020/ 617

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति.....(समरत)जिला–बाडमेर

षित:–

विषय:-विद्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी/चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी को द्वितीय शनिवार को कार्य करने के एवज मे क्षतिपुर्ति अवकाश देने वाबत्

महोदय, विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पूर्ववृत्ती आदेशों के संबंध में विद्यालयों मे कार्यरत अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी/चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी को द्वितीय शनिवार को विद्यालय में कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देय होता है।

अतः अधिनस्थ विद्यालयो मे इसकी पालना सुनिश्चित करावे।

दिनांक- 31 -8. २०३

क्रमांक-समसंख्यक / 2020 / 618 प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान निदेशक गाध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

2. श्रीमान संयुक्त निदेशक रकूल शिक्षा विभाग जोधपुर

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा बाडमेर

कार्यालय जिला शिक्षा आधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भीलवाडा क्यांकः जिल्लाको / मागु / संस्थापन / २०२० / [456 विनांक 10.09.2020

:कार्यालय आदेश:-

कई नव नियुक्त मंत्रालयिक सैंचर्ग के कार्मिकों द्वारा अधोहरताक्षरकर्ता को बार—बार दूरभाष पर क्षितिपूर्ति अवकाश के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा नियमों के सप्टीकरण के संबंध में सम्पर्क किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये जाते है कि कमांक शिविश—साप्र (ए1249 / 73 दिनांक 11.01.1974 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शिक्षा वर्ग 2 विभाग द्वारा पत्रांक 73 दिनांक 01.12.1973 की पालना में विद्यालय में द्वितीय शनिवार पर कार्य करने वाले मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को माह में एक दिन का क्षितिपूर्ति अवकाश देय है। अतः उक्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

जिला शिक्षा अधिकारी (गुख्यालय) माध्यमिक भीलवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हुनुमानगढ

क्रमाकः-जिशिअ/मु/मा./हनु/सरधा/2020 । ७ 9 2_ समस्त राउमावि/शमावि जिला हनुमानगढ विनांकः- 10/01/2020

विषय:-विधालयों में कार्यरत अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी/चर्तुध श्रेणी कर्मचारियों को द्वितिय शनिवार को कार्य करने के एज में क्षतिपूर्ति अवकाश देनें सामत ।

प्रसग:--राज्य सरकार के परिपत्र प एफ 11(14)1-(a)/ गुप-2/73 जयपुर दिनांक 01.12.1973 जपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसागिक राज्य सरकार के आदेश के सबंध में लेख है कि विधालयों में कार्यरत अराजपत्रित समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दितीय शनिवार को विधालय में कार्य करने के एवज में क्षतिपुर्ति अवकाश देय होता है।

अतः समस्त राजकीय विधालय पालना सुनिश्चित करे ।

BC 2101

(हंसराज) जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ

विनांक:- 10 09 2020

822 2121

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक हनुमानगढ

MAHESH SHARMA ST-2

०६:-कार्यालय प्रति ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने का प्रार्थना पत्र

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

रजिस्टर्ड

विषय:- सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

महोद्य,

प्रार्थी को सूचना के अधिकार के तहत मन्त्रालयिक कर्मचारियों की वर्तमान में प्रचलित विकट समस्याओं से संबंधित निम्न सूचनाओं की आवश्यकता हैं। आवेदन पत्र के साथ 10/- रू० का आई०पी०ओ० संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं। अतः सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

01. विद्यालयों में कार्यरत मन्त्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के दिन (एक पारी विद्यालय में 8:10 से 2:10 तक एंव 09:05 से 03:45 के समय) विद्यालय में ड्यूटी पर उपस्थित होने पर क्षितपूर्ति अवकाश दिये जाने के विभागीय/राजकीय प्रावधान एंव नियमों की स्पष्ट जानकारी की नवीनतम सूचना/नियमों की प्रति उपलब्ध करवाई जावें।

02. विद्यालयों में कार्यरत मन्त्रालयिक कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में आगमन एंव प्रस्थान के लघु हस्ताक्षर मय समय के करना अनिवार्य हैं या कार्यालय के अनुसार एक ही हस्ताक्षर किये जा सकते हैं के स्पष्ट प्रावधान/नियमों की सूचना एंव प्रति उपलब्ध करवाई जावें।

दिनांक:--

संलग्न:- आवेदन शुल्क 10/-

IPO N.& Date- 40F 869425

प्रार्थी

तूर्*ान)* (नूरबानो पत्नी स्व0श्री मुख्तार अली) पताः टोडा रोड सैयद कल्ब मैदान के पास,मालपुरा तह0 मालपुरा जिला—टोंक (राज0) 304502 मोबाईल नं. 9414739080

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / माध्य / साप्र / वी-2 / 4413 / (63) / 174 दिनांक 2 5 / 10 2 / 18

न्रवानो ।
w/o स्व.मुख्यतार अली
टोडा रोड सैयद क्लब मैदान के पास, ।
मालपुरा जिला-टॉक -304502
मोव:-9414739080

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना के संबंध में । उपयुक्त विषयान्तर्गत प्रासीगक पत्र के आप द्वारा सूचना के आधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना के बिंदु संख्या 01 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सलन्न कर प्रेषित है। बिंदु संख्या 02 के संदर्भ में मंगालयिक कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में आगनन एवं प्रस्थान के लघु हक्ताक्षर स्थ समय का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सलग्न उपरोक्तानुसार |

सहायक निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

द्वितीय शनिवार के स्थान पर क्षतिपूर्ति अवकाश

क्रमांक : शिविरा/साप्र/9/1249-73

दिनांक 13.01.74

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप 2) विभाग


प फ 11 (14) 1-(a) / मुप 2/73

जयपुर दि. 1-12-1973

आज्ञा

राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त राज्य कार्यालयों में माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश रहता है किन्तु विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपयोग इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि इस दिन विद्यालयों में अवकाश नहीं होता अतः राज्य सरकार यह आदेश प्रदान करती है कि राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश स्थान पर प्रत्येक माह एक दिवस की क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे।

यह आज्ञा सामान्य प्रशासन (1) विभाग की सहमति से कि उनकी अन्तर्विभागीय संख्या 410/सा.प्र./क/23 दिनांक 17.11.73 के द्वारा प्राप्त हुई है, प्रचलित की जाती है।



ह.के.एस. गुप्ता सहायक शासन सचिव

ससाचार समाचान

कॉर्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर क्रमांक -शिविरा/मा/सूअप्र/नितिन/जयपुर/336/18-19/6 दिनांक-31/1/12

श्री नितिन कुमार सांखला पुत्र श्री छोटे लाल सांखला वार्ड न. 24, रामपुरा रोड शाहपुरा, जयपुर पिन – 303103



विषय — सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भिजवाने

प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक - 14.12.18

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न है—

बिन्दु संख्या 01 – विद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रोविजनल पीरियड़ में द्वितीय शनिवार का क्षतिपूर्ति अवकाश संबंधित आदेश प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या 02 — आपने आवेदन पत्र में किसी प्रकार की सूचना नहीं चाही गई हैं, अपितु परिवेदना <u>निस्तारण/प्रश्नात्मक/जिज्ञासा</u> समाधान/भविष्य में होने वाली कार्यवाही से संबंधित हैं जो कि अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानान्तर्गत सूचना की श्रेणी में नहीं आती है।

संलग्न - 02

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

न्नादेश, परिएव एवं सूचनाएँ

स्थायी आदेश में शिषिलन

राजस्पान सरकार (शिका विभाग)

कार्योलय निवेशक, प्राथमिक एवं भारत्यनिक विका, राज्ञ, बीकानैर क्नांक : शिविरा/अमु/ए/16011/150/73 दिनांक 16-2-74

परिपंश

नमानी आदेश सं. 1/73 तिनांक 10-1-73 के कम में शिवि-सन देते हुए यह जादेश दिया जाता है कि कुनल अंशकालीन अध्या-वको एवं अन्य अंशकालीन कमंचारियों की नियुक्ति हेषु विज्ञापन प्रकाशित करना एवं नियोजन कार्याख्य-से प्रत्याशी नामावनी प्राप्त करना शावश्यक नहीं है परन्तु ऐसी नव-नियुक्ति का अनुमोदन विभा-मीर् - भेर अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है।

Sub :-

निदेशक, स्पेमिक एवं मार्म्यानिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शुक्ति-पत्र--संगीत परीक्षाओं के लिए मान्यता

श्विचरा/माध्यमिक/द/22974/114//71 हि. 12-2-74

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

जनांक : एक 9 (67) सा/ज/क/71

বিদান 11-1-1974

शुद्धि-पत्र

म्न विभाग द्वारा प्रसारित आदेश सम संस्थक दि. 27-8-73 [रेफ् फ़िविश दिसम्बर 73—संपा.] के अनुकोद 1 का शीर्षक निम्न

निस्नोकित संस्थाओं से जो व्यक्ति संगीत का प्रमाण-पन रखते हैं उनको संगीत विषय पड़ाने के लिए प्रशिक्षित सुतीय वेतन प्रवास के समतुल्य माना गया है।"

अनुत्रोद 2 का वीर्थक निम्न प्रकार पढ़ा साय-

'निम्नोकित संस्थाओं का को व्यक्ति संगीत का प्रमाण-पत्र रक्तते हैं उनको संगीत विषय पड़ाने के लिए प्रशिक्षित द्वितीय वेतन न्यो/ना के समनुत्य माना गया है।"

हर्न कि अन्त में निन्नांकित पंक्तियाँ जोड़ी जाय— ज्य में जो व्यक्ति मैट्टिक्यूलेट हैं तथा उपरोक्त संस्थाओं में केती संस्था का संगीत का प्रमाण-पत्र भी रखता है तो उसे भी

ाधितित द्वितीय वैतन शृंखला दी जादेगी।"

नुष्यंत्र 3 का शीर्यंक निम्न प्रकार पड़ा जाय— "निम्नांक्कित क्रिकेंसओं से जो व्यक्ति संगीत का प्रमाण-पत्र रखते मुद्दें जनको संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए परिष्ठ लब्यापक के सम-क्किन साली गया है।"

তি কান : বিদিয়ে/ম/5579/66/70 বিদাক 16 সমূলেং, 1968

शैक्षणिक कार्यालयों व विद्यालयों के समस्त प्रधानों को आदेश दिया जाता है कि 'शिदिरा पत्रिया' में प्रकाशित आदेश परियम व चननाओं को पूर्णतेया अधिकृत व प्रामाणिक माना जाय और तवनुकृत कार्यवाही की वाय ।

एक दृष्टि में

स्थामी आदेश में शिथिसन 495; शुद्धि-पथ-संगीत परीक्षाओं हे सिए मान्यता 495; द्वितीय घनियार के स्थान पर लिल्कृति अवकार, 495; माना-भत्ता 496; रोबा-नियम संशोधन 496; राजपन्ति अधि-कारियों के सिए निर्वेश497; अनुपयोगी अपकरणों की निर्मात 498; विद्याधियों को रेस यात्रा रियायत 500; सेवा निय्नित के मामलों का नियदार 501; इंड्रेडास की अवधि में, नियुक्त कर्मकारियों का बेहन भुगतान 501; धृद्धि-पत्र 501; व्यय-मित्रव्यविता 501; वस हेनु प्रसासनिक नियुक्त 502।

इस अमुख्येद के उप-अनुक्येद 7 को रह किया गया है। किन्तु अनुष्येद के अन्त में निम्नांकित परित्यों जोड़ी जाकर पढ़ा जाय— "भविष्य में जो व्यक्ति मैंद्रिक्यूलेट हो तथा उपरोक्त विकत संस्थाओं में से किसी संस्था का संगीत प्रमाण-पत्र रखता है थी

उसे योग्य परिष्ठ अध्यापक माना जाय⇒" अनुक्तेर 4 को निम्न प्रकार पढ़ा जाय—

"राज्य सरकार की विभागीय परीक्षाओं को निम्नानुसार मान्यता दी पई है—

संगीत भूषण—सृतीय देतन शृह्यका के लिए प्रकितित वी. ऐस. टी. सी. के समकक्ष अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो ' संगीत प्रभाकर—द्वितीय देतन शृह्यका के किए श्रीत-क्षित स्नातक स्तर के समकक्ष और व्यक्ति हाई स्कूल पास हो । संगीत निपुण—वरिष्ठ कथ्यापक के पद के लिए योग्य अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो । —ह- बी- जार. मेहला, जय ज्ञालम संदिव

द्वितीय शनिवार के स्थान पर क्षतिपृति अवकाश

कमांक : शिविरा/साप/ए/1249/73

विगांक 11-1-74

रायस्थान सरकार

शिक्षा (वर्ग-2) विभाग

क. : प. 11 (14) विका/यूप-2/73 वयपुर, दि. 1-12-1973

राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त राज्य कार्यालयों में मार् के द्वितीय शनियार का अवकास रहता है, किन्तु विश्वालयों में साथ करने वाले अराजपत्रित. मंत्रालयिक एवम् चतुर्वे थेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपभोग इसलिए नहीं करने विया जाता क्योंकि उक्त दिन विश्वालयों में अवकाश नहीं होता। अतः राज्य करकार यह बादेश प्रदान करती है कि राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विश्वालयों में कार्य करने वाले वराजपत्रित मंत्रालयिक तथा पतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रस्थेक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश के

साम्पा का प्रमा प्रमा

रणान पर प्रश्मेक साह एक दिनत का श्रातिपूर्ति अवस्थान स्वीकृत पार दिया जाने ।

यह जाहा सामान्य प्रशासन (क) विभाग की सहनति से, जो 410/सा.प्र./क/73 दिनांक कि उनकी अस्तविभागीय संस्या -17-11-73 के द्वारा प्राप्त हुई है, प्रचलित की जाती है।

> —ह. के. एम. गुप्ता सहायक शासम सचिव

यात्रा-भत्ता

No. EDB/REC/5914/7/73

Dated 31, 12, 73,

Government of Rajasthan Finance (Rules) Department

सवा-नियम संशोधन

No. EDB/REC/5912/34/73

mental condition of Government serv

wholetime of a Government servant i

posal of Government and his services in

ed in any manner required by the prop

without any additional remuneration.

there exist rules for grant of honoran circumstances, recourse to which confi

considered necessary by the peter

The practice of utilities are staff of offices should be in up, in order a conomy in traffing allowance expendit

> Dated 3 Government of Rajasthan Finance (Gr. 2) Department

(M.S. Sec

Finance Com

NOTIFICATION

No. F2(B) (18)FD(E-R)/65-1

Dated Jaipur, the 1 Nov In exercise of the powers conferred t viso to article 309 of the Constitution the Governor of Rajasthan hereby makes ing rules to amend further the Rajasthi

Rules, namely :-

,对何能能

These Rules may be called the Service (Amendment) Rules, 197

They shall be deemed to have force with effect from 1. 9. 1971

In the Rajasthan Service Rules :-In Note's of Rule 7(24), item

Sd/-

অনুপান অধিকাৰী MENT HER PERMITTER REPUTY Secretary to Go (M.L. Passa

Dated No. EDB/Estt/E/11477/74 Copy of Notification No. F. 3 (11) Ap .. II)/58/Part. IV dated 16.10.73 From

Secretary to Govt. copy to this Directorate.

...... In exercise of the powers conferred by the to Article 309 of the constitution of Inc Governor of Rajasthan hereby makes the fo

No. F. 3(9)/FD(Itales)/70

A Rules

It has come to the motice of the Government that services of the Government Servants posted in subordinate offices are willised in the district, regional or offices of the Heads of Departments in order to cope with temporary increase of work or for clearing arrears etc. Such Government servants when deputed for temporary duty either at the same station at which they are posted or at a station other than their posting are paid pay and allowances against their own posts in subordinate offices. Consequently the work in subordinate offices suffers. Audit has ico raised objections to such arrangements which is primafacie justified. Government servants called for emporary duty from outstation are also paid travelling allowance and halting allowance treating them as on duty. The provisions of Rule 17(4) of such journeys as on tour when temporary duty at the station for temporary transfer in the station for the st station for temporary transfer is for a period note that the delected. exceeding 30 days unless there are orders to the contrary.

It is enjoined on all Heads of Departments, (The Telephone Topics) and Regional Officers that they should be seen to the state of the and Regional Officers that they should not utilise the staff working in the subordinate offices under them for their own office work, but should get it done by the employees working directly under their control in their own offices. Whenever there is a temporary or occasional increase in the work in an office or Department, the existing staff already employed should be utilised for doing the work, keeping in view the provisions contained in Rule 13 of Rajasthan Service Rules. It is a funda-

(74)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (RULES DIVISION)



RAJASTHAN SERVICE RULES Volume II

(Amended as on 31-07-2015)

III-A. Compensation (Casual) Leave in lieu of Holiday

- ¹[1. Compulsory attendance on Sundays and other gazetted holidays justifies the grant to a member of the Ministerial establishment, of compensation (casual) leave for the number of days he is compelled to attend the office, unless the attendance is imposed on him as a penalty. The compensation (casual) leave earned under this instruction will be an addition to the 15 days' casual leave ordinarily admissible in year.
- In order to entitle a Government servant to this additional casual leave the attendance in such cases should be under the previous written orders of the gazetted officer in charge, who should say in the order whether or not this attendance is 'compulsory'.
- The compensation (casual) leave to the extent actually earned will be allowed by the
 officer competent to sanction casual leave to the Government servant concerned subject to the same
 conditions as are prescribed for the grant of casual leave.

NOTE: In lieu of the above instruction, no claim for conveyance charges or extra remuneration will be admitted for attendance on Sunday or other holiday.]

²[Instruction: The aforesaid order shall also be applicable to the Class-IV Government servant from 01.01.1964.]

Government of Rajasthan's Decision

³[1] ⁴[The order regarding compensation (casual) leave is not applicable to the personal staff of the officers viz., Personal Assistants, Stenographers, Readers in Courts, etc., as they are expected to work with their Heads even during such holidays and are not, therefore, entitled to compensation (casual) leave.]

⁵[2. Grant of compensation (casual) leave to Ministerial and Class IV Government servants who can not avail of ordinary weekly off or holidays.

It has been brought to the notice of the Government that there do not exist adequate arrangements in the departments to allow compensation (casual) leave in lieu of weekly holidays and other gazetted holidays to the Government servants belonging to Ministerial and Class-IV services when they are compulsorily required to attend to their duties on such holidays.

Your attention is invited towards Part-III-A of Appendix I of Rajasthan Service Rules,
 Volume-II, which provides that in the circumstances, mentioned above, the ministerial and Class-IV

¹ Inserted vide F.D order NO. F.5 (1) F.D (R)/56, dated 11.01.1956.

² Inserted vide F.D Memo NO. F.1 (2) F.D (E.R)/64, dated 12.01.1964.

³ Numbered vide F.D Memo NO. F.1 (19) F.D (Rules)/70, dated 25.05.1970...

Inserted vide F.D order NO. F.7 (18) F.II/55, dated 22.10.1956.

⁵ Inserted vide F.D Memo NO. F.1 (19) F.D (Rules)/70, dated 25.05.1970

Government servants may be allowed compensation (casual) leave provided such Government servants are not required to attend office on holidays as a penalty.

- 3. Government have noted this matter with concern and it is therefore ordered that suitable instructions may be issued to all heads of offices under your control to ensure that compensation (casual) leave is granted to such Government servants as and when they apply for it within a calendar year subject to the conditions laid down in Part-III-A of Ar Volume-II.

 8. Volume-III.
- 4. However, where it may not be practicable to ask another Government servant to work in place of the Government servant who is required to be granted compensation (casual) leave, on account of inadequacy of the staff of the same categories, concrete proposals to provide leave reserves or to increase existing leave reserves should be sent by you to the Administrative Deptt. latest by 30.06.1970. While forwarding proposals for providing leave reserves the following points should be taken into consideration:-
 - (i) Categories of Government servants required to attend to their duties compulsorily on weekly holidays and other Gazetted holidays. When they are required to attend only for half the day, this may also be mentioned.
 - (ii) Number of Government servants in each category who are required to be relieved from duty on holidays or on any day on which they avail compensation casual leave.
 - (iii) What is the existing system of replacing the Government servants on holidays and whether the system is working satisfactorily.
 - (iv) Whether providing of leave reserves or increasing existing leave reserves would be the proper solution of the problem, if the system is not working satisfactorily. If so, proper data should be given.
 - (v) Any other point which the department may like to mention taking into consideration the functioning of the department.]

Government of Rajasthan's Instructions.

¹[1. A question has been raised as to whether a person who is appointed as a 'substitute' in a vacancy caused due to the Government servant being on leave, training, foreign service etc., is entitled to leave including casual leave and other concession e.g. house rent allowance, free medical treatment and attendance (including medical reimbursement) during his tenure of appointment as a 'substitute'.

The matter has been examined and it is clarified that a substitute is entitled to only pay, special pay attached to the post and dearness allowances on such pay and ad-hoc relief according to rules. The concessions of house rent allowance, free medical facilities etc., as admissible to regular Government servants are not admissible to him. Similarly no leave (including casual leave) will be admissible to him except leave without pay which may be sanctioned by the authority competent yp sanction casual leave.

Past claims already settled otherwise may not be re-opened.)

²[2. In Finance Department memo dated 15.9.1972 (appearing as Govt. of Rajasthan's instruction No. 1 above) it has been clarified that a substitute is entitled to only pay, special pay

.

Inserted vide F.D Memo NO. F.1 (19) F.D (Rules)/72, dated 15.09.1972.

Inserted vide F.D. Memo No. F. I.(19)FD(Rules)/72. dated 13.12.1972.

attached to the post and dearness allowance on such pay and ad hoc relief according to rules. The concessions of house rent allowance, free medical facilities etc. as admissible to regular Government servants are not admissible to them. Similarly no leave (including casual leave) will be admissible to them except leave without pay which may be sanctioned by the authority competent to sanction casual leave.

With a view to ensure that irregular claims are not drawn and also that audit may effect proper check it has been decided that all Drawing Officers should write the words 'substitute' in the pay bills invariably against the name of such a Government servant who has been appointed as a 'substitute' in a leave vacancy.]

¹[III-B. Special Compensation (Casual) leave to R.A.C Personnel]

Special compensation (casual) leave not exceeding 31 days may be granted during the year 1966 to R.A.C personnel released by Pakistan after being prisoners of war.

²[Restricted Holidays

It is observed that a restricted holiday is not exactly covered under Rule 7(12)(b) of Rajasthan Service Rules, as it stands at present, because on a restricted holiday, the office is not closed for transaction of Government business without reserve or qualification. However, as the restricted holidays are akin to other closed holidays, it has been decided that restricted holiday can be prefixed or suffixed to regular leave or casual leave.]

IV. Quarantine Leave

Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated by orders not to attend office, in consequence of the presence of infectious disease in the family or household of a Government servant. Such leave may be granted by the Head of the Office on the Certificate of a Medical or Public Health Officer for a period not exceeding 21 days, or in exceptional circumstances 30 days. Any leave necessary for Quarantine purposes in excess of this period shall be treated as ordinary leave. Quarantine leave may also be granted when necessary in continuation of other leave subject to the above maximum. Except in the cases mentioned in the notes below, no substitute should be appointed in place of a Government servant absent on Quarantine Leave. A Government servant on Quarantine Leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted.

Explanations

- ³[(1) Quarantine leave is not admissible in the case of a Government servant who himself contracts an infectious disease. He will be granted leave according to leave rules.
- (2) The maximum limits of 21 and 30 days prescribed in this Rule refer to each occasion on which leave is applied for and granted.]

NOTES

1. Cholera, Small-pox, Plague, Diphtheria, Typhus fever ⁴[xxx] and Cerebrospinal Meningitis may be considered as infectious disease for the purpose of the rule. In the case of Chicken-pox Quarantine Leave should not be sanctioned unless the Health Officer responsible considers that because of doubt as to the true nature of the disease, for example, small-pox there is reason for the grant of such leave.

4

Inserted vide F.D. Order No. F.1(79)FD (E-R)/66. dated 8.11.1966, effective from 9.2.1966.

² Added vide F.D. Memo No. F.I. (49) FD (Gr.2)/82. dated 15.9.1990

³ Inserted vide F.D. Order No. F.7(18)F.II/55. dated 3.12.1955.

The words "measles" and "mumps" Deleted vide F. D. Order No. 1009/R/57, F.I (125) FR/56 dated 22.2.1957

के पूर्व किसी विशिष्ट खेल-घटना हेतु, विभिन्न अन्तरालों में, मान्य संघों द्वारा चलाये जा रहे गहन शिक्षण या प्रशिक्षण शिक्षिरों में वांछित प्रशिक्षण लेने हेतु, अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृति से संबंधित प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले पर विचार किया गया है एवं राज्यपाल यह निर्णय करने को सहमत हैं कि एशियन खेलों में भाग लेने वालों (निर्णायक या मध्यस्थों सहित) को उपरोक्त आदेशान्तर्गत वर्तमान में प्राप्त सामान्य 30 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पूर्व निर्धारित मामले पुन: नहीं खोले जायेंगे।

12. मान्यता-प्राप्त संघों के वार्षिक अधिवेशन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश—संयुक्त परामर्शदाजी परिषद के दिनांक 28-7-78 की बैठक में निर्णय लिया कि मान्यता-प्राप्त कर्मचारी संघों द्वारा वार्षिक अधिवेशन/ गोष्ठी माह के दूसरे शनिवार और रविवार के साथ आयोजित किये जाने पर उसमें भाग लेने वाले कर्मचारी को वर्ष में केवल एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे। इस निर्णय की क्रियान्वित इस विभाग के आदेश सं.प. 14(107)कार्मिक (क-6) 78 दिनांक 17-10-78 द्वारा की जा चुकी है। परन्तु विभिन्न मान्यता-प्राप्त संघों द्वारा अन्य किसी भी एक ही दिन के अवकाश के साथ अथवा केवल एक ही राज्य कार्य के दिन वार्षिक अधिवेशन/गोष्ठी के आयोजन का कार्यक्रम रखकर विशेष आकस्मिक अवकाश की मांग की जाती है, जो उपर्युक्त संदर्भित आदेश में निहित भावना के विरुद्ध है।

अत: स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में विभिन्न मान्यता-प्राप्त संघों द्वारा संयुक्त परामर्शदायी परिषद् की दिनांक 28-7-78 की बैठक में किए गए निर्णयों के आधार पर माह में द्वितीय शनिवार तथा रविवार के साथ वार्षिक अधिवेशन/ गोछी का आयोजन करने पर ही वर्ष में एक दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। इस अवकाश की

आवश्यकता उसी समय पड़ेगी जब अधिवेशन/गोष्ठी कार्यक्रम तीन दिवस का हो।

²[सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये अवकाश की गणना—(1) साधारणतया एक राज्य कर्मचारी को एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश दिये जाते हैं, पर एक कर्मचारी के साल के भीतर सेवा निवृत्त होने पर, आकस्मिक अवकाश साधारण नियमों के अन्तर्गत निम्न रूप से स्वीकृत होंगे—(अ) सेवा निवृत्त वर्ष में तीन माह से या उससे कम समय की सेवा होने पर—5 दिन तक; (व) सेवा निवृत्त वर्ष में तीन माह से ज्यादा व छ माह तक सेवा में होने पर—10 दिन तक; (स) सेवा निवृत्त वर्ष में छः माह से ज्यादा सेवा में होने पर—15 दिन तक।(2) सेवा में मृत्यु के मामले में उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा।(3) ये आदेश दिनांक 1-1-2002 से लागू होंगे, पुराने मामले वापस नहीं खोले जायेंगे।]

3III क. छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति (आकस्मिक अवकाश)

1. रिववारों तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्यत: लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के सदस्य को जितने दिन तक उस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया हो उतने ही दिनों तक उसे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दिशा में जब कि उक्त उपस्थिति दण्ड के रूप में उस पर लागू की गई हो। इस प्रकार प्राप्त किये गये क्षतिपूरक अवकाश साधारण रूप में देय 15 आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होंगे।

 उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हकदार किसी राजकीय कर्मचारी को बनाने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेशों के अधीन होनी चाहिये, जिसे उस आदेश में यह लिखना चाहिए आया उक्त

उपस्थिति अनिवार्य है अथवा नहीं।

वास्तव में अर्जित हुई सीमा तक क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है और उन्हीं शतों के अधीन रहेगी जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्धारित है।

टिप्पणी—उपरोक्त निदेश पर रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिए कोई वाहन या अतिरिक्त वेतन

स्वीकृत नहीं होगा।

⁴निर्देश—उपरोक्त आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 1-1-1964 से लागू होगा।

राजस्थान सरकार का निर्णय—क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश अधिकारियों के निजी कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होगा, नामार्थ निजी सहायकगण, आशुलिपिकगण, न्यायालयों के वाचकगण (रीडर्स) आदि, क्योंकि उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने कार्याल्याध्यक्षों के साथ ऐसी छुट्टियों में भी कार्य करेंगे और इसलिए वे आकस्मिक अवकाश पाने के हकदार नहीं हैं।

परिपत्र क्र.प.14(2)कार्मिक(क-5)21 दिनांक 1-10-1982

आदेश सं. एफ. 1(8) वित्त (नियम)/95 दिनांक 20-2-2002 द्वारा जोड़ा गया।

वित्त विभाग आदेश सं.एफ. 5(आर)56दिनांक 11-1-1956 द्वारा निविष्ट।

4. वित्त विभाग आदेश सं. 1(3)वि.वि./व्यय-नियम/64 दिनांक 12-1-1964 द्वारा निविष्ट।

वित्त वि. आज्ञा सं.7(18)एफ.11/53, दिनांक 22-10-1956 द्वारा निविष्ट।

िलिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों, जो कि सामान्य साप्ताहिक छुट्टियों का उपभोग नहीं कर सकते, को क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

सरकार के ध्यान में लाया गया है कि लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक छुट्टियों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों के बदले में, जबिक उन्हें इन छुट्टियों में अनिवार्य रूप से कर्तव्य पर उपस्थित होने की आज्ञा दी जाती है, क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश की अनुमित देने की व्यवस्था नहीं है।

2. राजस्थान सेवा नियम खण्ड II परिशिष्ट I के भाग III-क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि उपरोक्त परिस्थितियों में, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों को क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह कि दण्ड रूप में इन राज्य

कर्मचारियों को छुट्टियों में कार्यालय में उपस्थित होने को नहीं कहा गया हो।

3. राज्य सरकार ने इस मामले में चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा कि अपने नियन्त्रणाधीन समस्त कार्यालय अधिकारियों को इस प्रकार के उचित निर्देश दिये जावें कि वे यह निश्चित करें कि जैसे और जब उपरोक्त राज्य कर्मचारी क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन दें, उन्हें एक कलेण्डर वर्ष में राजस्थान सेवा नियम खण्ड II, भागा परिशिष्ट I के भाग III-क में लिखित शतों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जावे।

- 4. फिर भी जहां अन्य राज्य कर्मचारी को उस वर्ग का अपर्याप्त स्टाफ के कारण यह करना सम्भव नहीं हो कि वह राज्य कर्मचारी, जिसे क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति देनी है, के स्थान पर कार्य करे, यह आवश्यक है कि अवकाश हेतु अवकाश-आरक्षण (leave reserve) स्टाफ और विद्यमान आरक्षित स्टाफ में वृद्धि हेतु ठोस प्रस्ताव दिनांक 30-6-1970 तक प्रशासनिक विभागों को भेजे जावें। अवकाश आरक्षण (leave reserve) स्टाफ देने के प्रस्तावों में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जावे—
- (i) राज्य कर्मचारियों के कौनसे वर्ग को साप्ताहिक छुट्टियों और राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है जब उन्हें आधे दिन के लिए बुलाया जाता है उसका उल्लेख भी किया जावेगा।
- (ii) छुट्टियों या अन्य दिनों जब उन्हें वे क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश उपभोग करेंगे उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ग में कितने राज्य कर्मचारियों को कार्य से मुक्त किया जावेगा।
- (iii) छुट्टियों में प्रतिस्थापित करने को वर्तमान व्यवस्था क्या है और क्या वह व्यवस्था संतोषप्रव रूप से चल रही है।
- (iv) क्या अवकाश आरक्षित (leave reserve) स्टाफ या विद्यमान अवकाश आरक्षित स्टाफ में वृद्धि करना उक्त समस्या का उचित समाधान होगा। यदि वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही है तो उपयुक्त तथ्य दिया जावे।
- (v) अन्य तथ्य या बिन्दु जो विभाग के कार्य संचालन में विचारणीय समझे जाते हों, उनका उल्लेख किया जावे।

²निदेश 1.—एक प्रश्न उठाया गया है कि किसी राज्य कर्मचारी के अवकाश, प्रशिक्षण, विदेश सेवा आदि पर जाने से उत्पन्न रिक्त स्थान पर जो व्यक्ति किसी के बदले में नियुक्त होता है, क्या उसके अवकाश (आकस्मिक अवकाश सम्मिलित करते हुए) और अन्य रियायतों जैसे गृह-किराया भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा और चिकित्सा-परिचर्या [चिकित्सा पुन:भरण सम्मिलित करते हुए] का हक उसके स्थानापन्न की नियुक्ति की अवधि के लिए होगा।

वित्त वि. ज्ञापन सं. एफ. 1 (19) वि. वि. (नियम)/70 दिनांक 25-5-1970 द्वारा निविष्ट ।

वित्त वि. ज्ञापन सं. एफ. 1 (19) वि. वि. (नियम)/72 दिनांक 25-9-1972 हास निवित्त ।

आदर्श राजकीय उग्रसेन कुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय

CAD.

कानोड़-313604, जिला-उदयपुर (राज.) 🕜 02957-233808

सेमीस कोड : 08261600902

प्रेषक :

प्रधानाचार्घा

आदर्श उग्रसेन कुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड़, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक : आ रा उ.कु.बा.उ.मा.वि./कानोड़/ १४१ भारत -131. To 13/100 परीवीद्या काल पर

> ग जकीय उग्रशेन कपारी वा उ.गा.!दे कानोड, जिला-छेपरपुर (तल.) NEMIS Code 08201 100002

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः शिविरा / माध्य / साप्र / ए-3 / उदयपुर / 2014 | 33 | दिनांक : 01 | 11 | 2017

गानाचार्य आदश राजकीय उग्रसेन मारी बालिका उच्च माध्यमिक गानोइ, जिला- उदयपुर

विषय:- क्षतिप्रि अवकाश देयता के सम्बन्ध में |

प्रसंग:- आपका पत्र सामान्य/17-18/71 दिनांक 14-10-17

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र में मांगी गई सूचना के सम्बद्ध मृद्ध में मृत्रालयिक कर्मचारी को द्वितीय शनिवार की श्एवं राजपत्रित अवकाश के दिन राजकीय क पादन करवाए जाने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति (अवकाश) देयता बनती है |

> सहायक निदेशक (प्रशा माध्यमिक शिक्षा राजर 3 बीकानेर